रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ...तौरल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

ईमान, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर श्रवण पत्र आधार - कार्ड परिवार प्रमाणकार्ड, निर्वाचन मतदाता पहचान पत्र, हाईस्कूल सर्टीफिकेट में खातेदार पर प्रार्थी का नाम मूलाराम से मूलचन्द पुत्र नाराणा लिखा जाना उचित होगा।

23/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

दुरूस्त किया जाना उचित है।

23/11/2021

तहसीलदार (भू०अ०)
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1543
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता सख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पूरब	2075-78	662	मूलाराम पुत्र नाराणा	मूलचन्द पुत्र नाराणा

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1235 - 1236

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते [illegible]
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:13:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner